JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax: +91-612-250 4960, Website:www.brlp.in

(२४)

पत्रांक:- BRLPS/Proj-9B&CB/818/15/1050 दिनांक: 31.05.2017

# कार्यालय आदेश

## सामुदायिक संगठनों में नेतृत्व परिवर्तन

वर्तमान में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के अन्तर्गत समुदाय आधारित संगठन तीन स्तरों पर संचालित है: स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल संघ। स्वयं सहायता समूह को संघीकृत कर ग्राम संगठन और ग्राम संगठन को संघीकृत कर संकुल संघ का निर्माण हुआ है। ग्राम संगठन में प्रतिनिधि मंडल और निदेशक मंडल का गठन होता है और निदेशक मंडल द्वारा ग्राम संगठन को नेतृत्व प्रदान करने के लिये पॉच पदधारियों - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव होता है। इसी प्रकार संकुल संघ में प्रतिनिधि मंडल और निदेशक मंडल का गठन होता है। निदेशक मंडल द्वारा संकुल संघ को नेतृत्व प्रदान करने के लिये पॉच पदधारियों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव होता हैं। स्वयं सहायता समूह को नेतृत्व प्रदान करने के लिये तीन पदधारियों - अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चयन किया जाता है। ग्राम संगठन के प्रतिनिधि मंडल में स्वयं सहायता समूह के सभी प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रतिनिधि मंडल द्वारा ही १२ सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन किया जाता है। इसी प्रकार संकुल संघ के प्रतिनिधि मंडल का गठन ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों - अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होता है जो १२ सदस्यीय निदेशक मंडल का गठन करते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व ग्राम संगठन से लेकर संकुल संघ तक होता है।

**नेतृत्व परिवर्तन की अवधारणा:** नेतृत्व का सामुदायिक संस्थागत विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेतृत्व द्वारा ही संस्थाओं के कार्यों का प्रबंधन होता है। स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल संघ में कई महत्वपूर्ण कार्य जैसे नियमित बैठक आयोजित करना, नियमों का अनुपालन संबंधी कार्यों को निष्पादित करना, बैंक लिंकेज, खाद्यान्न सुरक्षा कोष का प्रबंधन, स्वास्थ्य सुरक्षा कोष का उपयोग इत्यादि के साथ-साथ अन्य गैर वितीय कार्यो जैसे, प्रशिक्षण, परिभ्रमण (एक्सपोजर), सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का चयन और उनकी समीक्षा में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिये नेतृत्व जितना अधिक मजबूत होता है, सामुदायिक संस्थायें उतनी ही अधिक मजबूत होती है।

समुदाय आधारित संगठनों में नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक होता है, क्योंकि

(क) अधिक से अधिक सदस्यों का नेतृत्व प्रदान करने का मौका मिलता है।
(ख) अधिक सदस्यों की नेतृत्व में साझेदारी से बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
(ग) समुदाय आधारित संगठनों के कार्यों में पारदर्शिता होती है।
(घ) अधिक से अधिक सदस्यों का नेतृत्व में भागीदारी से समुदाय आधारित संगठन अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं।

**स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल संघ के लिये नेतृत्व परिवर्तन संबंधी मापदंड/ ट्रिगर्स:-**

(क) सभी योग्य स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन के सदस्य बन चुके हों और ग्राम संगठन स्कुल संघ की सदस्यता ग्रहण कर चुका हो।
(ख) सामान्य रूप में **प्रत्येक दो वर्ष के बाद** स्वयं सहायता समूह के पदधारियों में कम से कम **एक–तिहाई परिवर्तन** के साथ–साथ ग्राम संगठन और संकुल संघ के **निदेशक मण्डल/ प्रतिनिधि मंडल** के सदस्यों मे भी परिवर्तन होगा।
(ग) **समूह, ग्राम संगठन और संकुल के सभी पदधारियों में परिवर्तन के लिये चुनाव की आवश्यकता होगी।** इसी तरह ग्राम संगठन और संकुल संघ के प्रतिनिधि मंडल और निदेशक मंडल के सदस्यों में भी परिवर्तन के लिये चुनाव की आवश्यकता होगी।
(घ) चूकिं ग्राम संगठन और संकुल संघ का निबंधन बिहार स्वाबलंबी सहकारिता अधिनियम, 1996 के अंतर्गत होना है। इसके अंतर्गत वैसे सभी ग्राम संगठन एवं संकुल संघ जिनका दस्तावेज़ निबंधन हेतु बनाया जा रहा हो या प्रक्रिया में हो में नेतृत्व परिवर्तन न किया जाए।

**स्वयं सहायता समूह में नेतृत्व परिवर्तन:** स्वयं सहायता समूह में **प्रत्येक दो वर्ष के बाद एक तिहाई पदधारियों में परिवर्तन होगा**, अर्थात तीन पदधारियों में से एक पदधारी को बदल दिया जायेगा। **स्वयं सहायता समूह के वैसे पदधारी जो निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में चयनित है उनको परिवर्तित नहीं किया जायेगा I** पदधारियों का परिवर्तन समूह की साप्ताहिक बैठक में होगा। नेतृत्व परिवर्तन की शर्ते व्यक्तिगत मूल्यांकन के आधार पर होगी, जैसे–बैठक में नियमित उपस्थिति, नियमित बचत, ऋण वापसी दर और ग्राम संगठन की बैठकों, जैसे–आम सभा, प्रतिनिधि मंडल और निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति, इत्यादि। चुनाव में अपनायी गयी सभी प्रक्रिया को कार्यवाही बही पर लिखना आवश्यक होगा।

**नेतृत्व क्षमता का विकास:** समूह स्तर पर नेतृत्व क्षमता में विकास को बढ़ावा देने के लिये साप्ताहिक बैठक में पदधारियों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को बैठक के संचालन के लिये जिम्मेवारी दी जायेगी। यह जिम्मेवारी उक्त चयनित सदस्य को लागातार चार बैठको तक दी जायेगी। समूह की लगातार चार बैठको के संचालन के उपरांत उक्त सदस्य को ग्राम संगठन की मासिक बैठक में भी शामिल होना चाहिए। समूह की बैठक संचालन एवं ग्राम–संगठन की बैठक में शामिल होने से बारी–बारी प्रत्येक सदस्यों को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा साथ ही साथ उनकी नेतृत्व क्षमता का भी विकास होगा।

समूह में पदधारियों के चयन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को तीन पदों में से कोई एक पद के लिये प्राथमिकता दी जायेगी।

**ग्राम संगठन के स्तर पर नेतृत्व में परिवर्तन:** समूह के स्तर पर नेतृत्व में परिवर्तन के बाद स्वत: ग्राम संगठन के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों में परिवर्तन होगा। इसका अर्थ है कि प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों में आवश्यक परिवर्तन होगा। इसका असर निदेशक मंडल पर भी पड़ेगा। **निदेशक मंडल का कार्यकाल पांच वर्षो का होता है जो निर्वाचन के आधारनुसार ही बदला जा सकता है (बिहार स्वाबलंबी सहकारिता अधिनियम, 1996) I इसलिए यह आवश्यक होगा की प्रत्येक दो वर्ष उपरांत ग्राम संगठन संघ के बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में से चुने गए पांच सदस्यों (पदधारियो) को छोड़ कर बाकी बचे सात सदस्यों में से नए पदधारियो का चयन हो I नए परिवर्तित पदधारियो (कम से कम दो पदधारियो) में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष (कोई एक) एवं उपाध्यक्ष, उपसचिव (कोई एक) बदले जायेंगे I** इस प्रकार स्वयं सहायता समूह, एवं ग्राम संगठन में प्रत्येक स्तर पर निम्न परिवर्तन होगा:

| क्र० सं० | विवरण | परिवर्तित सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|
| १. | समूह स्तर पर पदधारियों में परिवर्तन | १ |
| २. | ग्राम संगठन के स्तर पर पदधारियों में परिवर्तन | २ |

इस नेतृत्व परिवर्तन के लिये चुनाव की प्रक्रिया अपनाना होगा और चुनाव संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया को कार्यवाही बही पर लिखना आवश्यक होगा। नेतृत्व परिवर्तन के लिये निर्धारित शर्तों के सापेक्षिक योगदान पर चर्चा की जायेगी और उसके आधार पर रिक्त पदों की घोषणा होगी। ग्राम संगठन के स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन निम्न शर्तों के आधार पर होगा:

(क) व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधि मंडल और निदेशक मंडल की बैठको में उपस्थिति।
(ख) व्यक्तिगत रूप से समूह में सापेक्षिक ऋण वापसी दर।
(ग) संबंधित समूह का ग्राम संगठन में सापेक्षिक ऋण् वापसी दर।
(घ) संबंधित समूह का बैंक में सापेक्षिक ऋण वापसी दर।
(ङ) व्यक्तिगत वित्तीय अनियमितता नहीं हो।

**आरक्षित पद:** ग्राम संगठन के **प्रतिनिधि मंडल** में प्रत्येक समूह से तीन पदधारी शामिल होंगे। **निदेशक मंडल** में एक समूह से एक ही सदस्य शामिल होगा। **इसमें दो पद अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिये, दो पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये और दो पद पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित होगा।** ग्राम संगठन के **पदधारकों में एक पद के लिये अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी।**

**ग्राम संगठन में नेतृत्व परिवर्तन के लिये उठाये जानेवाले प्रमुख कदम**: ग्राम संगठन में नेतृत्व परिवर्तन के लिये निम्न कदम उठाये जायेंगें:

(क) समूह और ग्राम संगठन के स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन के लिये ग्राम संगठन के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में चर्चा एवं तैयारी करना।
(ख) चुनाव की तिथि को घोषित करना।
(ग) मतदाता सूची तैयार करना।
(घ) चुनाव की तारीख एवं विशेष आम सभा की तारीख के बारे में सूचना देना।
(ड.) ग्राम संगठन के पदधारियों का चुनाव एवं नवचयनित सदस्यों की सूची जारी करना।

**संकुल संघ के स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन**: ग्राम संगठन के निदेशक मंडल के सदस्यों और पदधारियों में परिवर्तन के पश्चात् तत्कालीन संकुल संघ के **प्रतिनिधि मंडल , निदेशक मंडल** और उसके पदधारियों पर असर पडेगा और स्वतः उपरोक्त तीनों स्तर पर स्थान रिक्त हो जायेंगें। रिक्त स्थानों को भरने के लिये नये सदस्यों को मौका देना अनिवार्य होगा। **निदेशक मंडल का कार्यकाल पांच वर्षो का होता है जो निर्वाचन के आधारनुसार ही बदला जा सकता है (बिहार स्वाबलंबी सहकारिता अधिनियम, 1996) I इसलिए यह आवश्यक होगा की प्रत्येक दो वर्ष उपरांत संकुल संघ के बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में से चुने गए पांच सदस्यों (पदधारियो) को छोड़ कर बाकी बचे सात सदस्यों में से नए पदधारियो का चयन हो I नए परिवर्तित पदधारियो (कम से कम दो पदधारियो) में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष (कोई एक) एवं उपाध्यक्ष, उपसचिव (कोई एक) बदले जायेंगे I** चूंकि ग्राम संगठन के नेतृत्व में परिवर्तन दो वर्षो के बाद होता है, इसलिये **संकुल संघ में भी नेतृत्व परिवर्तन दो वर्षो के बाद ही होगा।** इस प्रकार संकुल संघ में प्रत्येक स्तर पर निम्न परिवर्तन होगा :

| क्र०सं० | विवरण | परिवर्तित सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|
| १. | स्कुल संघ के स्तर पर पदधारियों में परिवर्तन | २ |

**संकुल संघ में पदों का आरक्षण**: संकुल संघ के **निदेशक मंडल में दो पद अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिये, दो पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये और दो पद पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित होगी।** निदेशक मंडल में **सदस्यों की संख्या १२ होगी** जो 12 ग्राम संगठन से होंगे। इसी प्रकार संकुल संघ के **पदधारकों में एक सीट के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। एक जैसे पदों पर प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये सदस्यों को मौका नहीं दिया जायेगा।** उदाहरण के लिये, यदि कोई सदस्य ग्राम संगठन में अध्यक्ष है तो उसे संकुल संघ में अध्यक्ष के रूप में चयनित नहीं किया जायेगा।

**संकुल संघ में नेतृत्व परिवर्तन की शर्ते**: संकुल संघ के निदेशक मंडल और पदधारकों में नेतृत्व परिवर्तन निम्न शर्तो पर किया जायेगा:

(क) संबंधित ग्राम संगठन का संकुल संघ में सापेक्षिक ऋण वापसी दर।
(ख) विगत एक वर्ष में संबंधित ग्राम संगठन के सदस्यों को खाद्य सुरक्षा का लाभ।

(ग) विगत एक वर्ष में संबंधित ग्राम संगठन के सदस्यों को आजीविका का लाभ।
(घ) विगत एक वर्ष ग्राम संगठन में अनुपयोग राशि की स्थिति।
(ङ) किसी प्रकार की व्यक्तिगत वित्तीय अनियमितता नहीं हो।

**संकुल संघ में नेतृत्व परिवर्तन के लिये उठाये जानेवाले प्रमुख कदम:** संकुल संघ में नेतृत्व परिवर्तन के लिये निम्न कदम उठाये जायेंगें:

(क) संकुल संघ के प्रतिनिधि मंडल की बैठक आयोजित करना और संकुल संघ के नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा एवं तैयारी करना।
(ख) चुनाव संबंधी सूची जारी करना।
(ग) मतदाता सूची का प्रकाशन।
(घ) चुनाव की तारीख और विशेष आम सभा की तारीख की घोषणा करना।
(ङ) निदेशक मंडल के सदस्य और पदधारियों की सूची जारी करना।

**नेतृत्व परिवर्तन संबंधी टीम का निर्माण एवं उसकी संरचना:** नेतृत्व परिवर्तन सम्बन्धी टीम का निर्माण क्लस्टर स्तर पर किया जायेगा जिसमे सम्बंधित क्षेत्र के **सामुदायिक एवं क्षेत्रीय समन्वयक** एक टीम के रूप में कार्य करेंगी I **क्लस्टर स्तर पर सभी कम्युनिटी मोबलाईजर (सी०एम०), बैंक मित्रा और बुक-कीपर (ग्राम संगठन/ संकुल संघ) इस टीम** की देख-रेख में कार्य करेंगें। **इस कार्य की समीक्षा और कार्यवाही सम्बंधित ग्राम संगठन एवं संकुल संघ की बैठक में की जाएगी I इसके साथ साथ प्रत्येक माह प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा इस कार्य की समीक्षा और अद्यतन (MIS) सुनिश्चित करेंगे I**

कलस्टर टीम के कार्य एवं उत्तरदायित्व:

(क) कलस्टर टीम के सदस्य प्रत्येक समूह, ग्राम संगठन और संकुल संघ में भ्रमण करेगी और सदस्यों को नेतृत्व संबंधी प्रक्रिया और गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षण देंगी।
(ख) कलस्टर टीम चुनाव संबंधी प्रक्रिया का क्रियान्वयन समूह, ग्रामसंगठन और संकुल संघ की निर्धारित बैठकों में हीं करेगी।
(ग) कलस्टर टीम प्रत्येक स्तर पर सभी आवश्यक चुनाव संबंधी दस्तावेजों को तैयार करेगी तथा बैठक की कार्यवाही को सुनिश्चित करेगी।
(घ) कलस्टर टीम बैंक बचत खाता के हस्ताक्षरकर्ता में परिवर्तन के लिये बैंक के साथ बात-चीत करेंगे एव संबंधित बैंक खाता में हस्ताक्षरकर्ता का परिवर्तन सुनिश्चित करेगी।
(ङ) कलस्टर टीम के सदस्य चुने हुए सदस्यों की सूची तैयार करेंगे और उसे निर्धारित प्रपत्र में दर्ज करेगी।
(च) कलस्टर टीम नेतृत्व परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ संबंधी कार्यो को पूरा करने के लिये सुनिश्चित करेगी एवं संबंधित प्रतिवेदन बैंक को जमा करेगी।

तत्कालीन सामुदायिक संगठनो में नेतृत्व परिवर्तन हेतु मार्च, २०१६ तक जीविका द्वारा संपोषित सभी स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, एवं संकुल संघ में नेतृत्व परिवर्तन किया जायेगा ।
इस कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु निम्न कर्मियो का सहयोग अपेक्षित है:

| प्रमुख कार्य | जिम्मेदारी |
|---|---|
| ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के स्तर पर निदेशक मंडल का गठन | **सामुदायिक समन्वयक एवं क्षेत्रीय समन्यवयक** |
| सामुदायिक समन्यवयक एवं क्षेत्रीय समन्यवयक का उन्मुखीकरण | **प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रबंधक** |
| कम्युनिटी मोबलाईजर (सी०एम०), बुक-कीपर, बैंक मित्र का उन्मुखीकरण | **सामुदायिक समन्वयक एवं क्षेत्रीय समन्यवयक** |
| स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, एवं संकुल संघ के स्तर पर उन्मुखीकरण एवं नेतृत्व परिवर्तन | **सामुदायिक समन्वयक एवं क्षेत्रीय समन्यवयक (क्लस्टर टीम के सहयोग से)** |
| स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, एवं संकुल संघ के बैंक खाता में परिवर्तन हेतु सम्बंधित बैंक प्रबंधको से समन्वय | **प्रखंड परियोजना प्रबंधक (प्रबंधक- माइक्रोफाइनेंस/ कम्युनिटी फाइनेंस के सहयोग से)** |
| स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, एवं संकुल संघ के बैंक खाता में परिवर्तन | **सामुदायिक समन्वयक एवं क्षेत्रीय समन्यवयक** |
| संकुल संघ/ प्रखंड स्तर पर समीक्षा, रिपोर्टिंग एवं MIS में अद्यतन | **प्रखंड परियोजना प्रबंधक** |

स्वयं सहायता समूह के स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए लिंक:
https://docs.google.com/forms/d/1YWaz8MzA4gAGhR52krPRkubpBOdRaWkuKqvDJPxpDv8/edit?uiv=1

ग्राम संगठन के स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए लिंक:
https://docs.google.com/forms/d/1v6NnYqpNyFgHOFDNeyO53l7IYDxCmDOLR66jdcgtz38/edit

संकुल संघ के स्तर पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए लिंक:
https://docs.google.com/forms/d/19KlCawETgFVixFmGX1rwInbHLJaeFbqebaUKgmDrlAQ/edit

उपरोक्त कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु सभी जिला परियोजना प्रबंधक को निदेशित किया जाता है।

31/03/17

**(Balamurugan D.)**
Chief Executive Officer-Cum-State Mission Director

Copy to:

1. All DPMs/ FMs/ Manager-ICBs/ TOs/ BPMs.
2. All PCs/ SPMs/ SFMs/ PMs/ AFMs.
3. OSD/ Director/ CFO/ AO/PS/ PO.
4. IT Section.
5. Concerned File.